भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1055

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक(

भारत में कौशल विकास ढांचे को एकीकृत करना

1055. श्री मनीष जायसवाल: श्री जुगल किशोर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क(क्या सरकार के पास देश में अग्रणी शैक्षणिक ढांचे में कौशल विकास को एकीकृत करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख(वैश्विक कार्यबल की कमी को दूर करने में कौशल और मानकों की पारस्परिक मान्यता की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ग(सरकार द्वारा कार्यबल में लगे व्यक्तियों के बीच जीवनपर्यत अधिगम को प्रोत्साहित - करने हेतु क्या रणनीति अपनाई जा रही है;

(घ(सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रमों को, विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक दर्शकों तक अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ(यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (तंत्र प्रभारस्व)
(श्री जयन्त चौधरी(

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने की सिफारिश की गई है। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(i) समग्र शिक्षा योजना के व्यावसायिक शिक्षा घटक के अंतर्गत, पात्र विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 और 10) पर, विद्यार्थियों को अतिरिक्त विषय के रूप में व्यावसायिक मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 और 12) पर, व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

(ii) संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमशीलता कौशल और हरित कौशल से युक्त रोजगार कौशल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।

(iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में विकसित स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण के उद्देश्यों को निर्धारित किया है। इसका एक उद्देश्य यह है कि सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक क्षमता, ज्ञान और प्रासंगिक मूल्य विकसित किए जाएँगे, और इससे स्कूल के बाद अगर वे चाहें तो कार्यबल में शामिल होने की संभावना पैदा होगी।

(iV) पीएमकेवीवाई 4.0 को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग से कौशल हब पहल के तहत स्कूलों के माध्यम से भी लागू किया जा रहा है। कौशल हब पहल मिश्रित शिक्षण अवसर प्रदान करती है, जिससे दीर्घकालिक कैरियर विकास के लिए मार्ग बनते हैं।

(V) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ़) के अनुसार कौशल-आधारित कार्यक्रम प्रदान करने की सुविधा प्रदान की है।

(ख): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न देशों के साथ जुड़ने तथा देश के युवाओं को लाभकारी रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। इस संबंध में एमएसडीई ने सरकार से सरकार के बीच सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में, विभिन्न देशों अर्थात्: ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर के साथ 07 समझौता ज्ञापन सक्रिय हैं। ये सहमति ज्ञापन भागीदार देश के साथ सूचना विनिमय, मानक निर्धारण, अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कुशल गतिशीलता के लिए इंटर्नशिप आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत ने वैश्विक कौशल अंतरालों को मैप करने और वैश्विक स्तर पर कौशल अंतरालों को दूर करने के लिए जी20 नीति प्राथमिकताओं के विकास के प्रयासों का स्वागत किया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सांख्यिकीय डेटा को और सुदृढ़ करना, आईएलओ और ओईसीडी कौशल के लिए जॉब के डेटाबेस के कवरेज को जी20 देशों तक बढ़ाना शामिल है।

एनएसडीसी इंटरनेशनल (एनएसडीसी-आई) ने भारतीय कुशल कर्मचारियों की विदेश में गतिशीलता, प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण, नियोक्ता जुड़ाव आदि को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न देशों की व्यावसायिक संस्थाओं के साथ बिजनेस-टू-बिजनेस समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(ग): कार्यबल में व्यक्तियों के बीच आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ़) को परिणाम और अर्हता-आधारित ढांचा के रूप में अधिसूचित किया गया है जो सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित ज्ञान, कौशल, अर्हता और जिम्मेदारी के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार अर्हताओं का आयोजन करता है। एनएसक्यूएफ़ स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, और नौकरी बाजारों के भीतर और बीच में कई प्रवेश-कई निकास और प्रगति मार्गों को सक्षम बनाता है। एनएसक्यूएफ़ आजीवन सीखने और कौशल विकास को सक्षम और बढ़ावा देता है।

(ii) स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) - कौशल वृद्धि के लिए एक व्यापक और सुलभ मंच प्रदान करने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, जॉब के अवसर और उद्यमशीलता समर्थन प्रदान करता है - सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच को बढ़ाता है।

(iii) भारत सरकार न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) को कार्यान्वित करती है, जिसे लोकप्रिय रूप से उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) के रूप में जाना जाता है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमि से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना है जो उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना है ताकि वे देश की विकास कहानी में अधिक योगदान दे सकें। इस योजना में पाँच घटक शामिल अर्थात मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा हैं।

(घ) और (ङ): स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे भारत में कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमशीलता परिदृश्य को समन्वित और रूपांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उद्योग-संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों, नौकरी के अवसरों और उद्यमिता सहायता तक पहुँच प्रदान करके बेहतर अवसरों की तलाश करने वाले लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के रूप में, एसआईडीएच इन क्षेत्रों में सभी सरकारी पहलों के लिए एक व्यापक सूचना गेटवे के रूप में कार्य करता है, जिससे यह करियर में उन्नति और आजीवन सीखने की चाह रखने वाले नागरिकों के लिए

एक केंद्र बन जाता है। एसआईडीएच के प्राथमिक उद्देश्यों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों में व्यक्तिगत दक्षताओं को बढ़ाकर कौशल विकास के लिए डिजिटल पहुँच को सुविधाजनक बनाना, कौशल इकोसिस्टम को एकीकृत करना, रोज़गार और उद्यमशीलता को बढ़ाना, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना, सूचना गेटवे के रूप में कार्य करना और डेटा-संचालित निर्णय लेने का लाभ उठाना शामिल है।

इसके अलावा, एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) डिजिटल कौशल विकास का समर्थन करने के लिए इंडियास्किल्स पोर्टल को कार्यान्वित करता है, तथा पाठ्यक्रमों के लिए 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध ई-पुस्तकों, प्रश्न बैंकों और ई-लर्निंग वीडियो सहित शैक्षिक सामग्री की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है।

*****